तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
6/5/26	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। अभि० प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अभि० प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी पर हम प्रार्थी एवं अप्रार्थी सामूहिक रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु उक्त आराजी गांव के रास्ते के सहारे स्थित होने के कारण कीमती हो गयी है जिसके कारण अप्रार्थी के मन में बदनियति आ गयी है एवं विवादित आराजी के कीमती हिस्से पर कब्जा कर उसका बेचान करना चाहता है। अप्रार्थी को नोटिसलाग कर स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने द्वारा विद्वान अभि० प्रार्थी की बहस पर मनन किया, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी है एवं विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत उक्त प्रा० पत्र के अप्रार्थी बावजूद प्रोपर नोटिस हाजिर अदालत नहीं आया और ना ही अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में कोई जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की किस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु प्रार्थी के हक में जाहिर होते हैं।

अतः उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 1884/3824/0.36 हे० वाके ग्राम कुरका तहसील उज्जैन के नोटिसलाग कर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
उज्जैन (भरत)

RPU